न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम) नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–53/2020

अनवर हुसैन..वादी
बनाम
दिनेश शर्मा...प्रतिवादी

25.01.2021 वादी की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 04.12.2020 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 के तहत दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण मद न0–2 में किया गया है। उस पर अपना स्वत्व एवं दखल कब्जे की घोषणा एवं अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। यह कि प्रतिवादी को प्रस्तुत वाद की जानकारी है और वे बल पूर्वक वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बदलने पर आमदा है। यदि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बदल जायेगा तो वाद में बहुलता उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर प्रतिवेदन की मांग किया जाना आवश्यक है।

अभिलेख परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अधिकार, स्वत्व की घोषणा तथा दखल कब्जे की पुष्टि हेतु लाया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु नियत है तथा उनके विरूद्ध समन भेजा जा चुका है, किन्तु वे अभी उपस्थित नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा दाखिल आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में वादी द्वारा दाखिल आवेदन न्याय हित में स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय नरकटियागंज के स्थानीय अधिवक्ता श्री सुनील चौबे को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए उन्हें आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है, के संबंध में अपना प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 12.02.2021

अवर न्यायाधीश (प्रथम)